भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1047

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

नकली उर्वरकों की बिक्री

1047. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि कंपनियां अक्सर किसानों को नकली या निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक बेचती हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है और उन्हें वित्तीय नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार सामने आए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में नकली या निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की बिक्री के कई मामले दर्ज किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उर्वरकों को जब्त करने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या अनुक्रिया है;

(ड.) क्या सरकार का ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार को पता है कि उर्वरकों की बढ़ती कीमतें और उनके वजन में कमी तथा हर साल उर्वरकों का कम वजन देश भर के किसानों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डाल रहा है, जिससे वे अपनी खेती के लिए उर्वरक खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देशन निर्धारित किए गए हैं। कोई भी उर्वरक, जो उक्त विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता है, को कृषि प्रयोजन के लिए देश में नहीं बेचा जा सकता है। एफसीओ के खंड 19 में उन उर्वरकों की बिक्री अथवा उत्पादन का कड़ाई से निषेध किया गया है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। नकली अथवा घटिया उर्वरकों की किसी भी प्रकार की बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडनीय है।

इसके अलावा, उर्वरकों का गुणवत्ता नियंत्रण राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। राज्य में नकली उर्वरकों की बिक्री को विनियमित करने के लिए, फील्ड स्तर पर जागरूकता और सतर्कता के लिए एक जिला गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है तथा प्रेस नोट, टीवी वार्ता, किसान गोष्ठी, कृषि मेला, कृषि महोत्सव आदि के माध्यम से नियमित रूप से किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाता है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यों में नकली अथवा घटिया उर्वरकों के मामलों की संख्या तथा उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी अनुलग्नक में दी गई है।

(च): नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) की शुरुआत के बाद, नीम लेपन के प्राथमिक लाभों में से एक यह है कि धीमी गति से स्रावित होने के कारण, सामान्य यूरिया की तुलना में एनसीयू की खपत कम होती है। इसलिए, दिनांक 4 सितंबर, 2017 की अधिसूचना के तहत, 50 किलोग्राम की बोरी के स्थान पर यूरिया की 45 किलोग्राम की बोरी की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया। यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। दिनांक 01.03.2018 से यूरिया की 45 किग्रा की बोरी की एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। एनबीएस स्कीम के तहत, उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों की वहनीय स्तर पर एमआरपी नियत करती हैं जिसकी सरकार द्वारा निगरानी की जाती है। तथापि, वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष प्रावधान जैसे **'**अन्य लागतों**',** जिसमें कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत**,** अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान शामिल हैं**,** को कवर करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का प्रावधान**,** एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और खरीफ 2025 मौसम के लिए आयातित और घरेलू डीएपी दोनों के लिए निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान शुरू किया है।

*****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 25.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1047 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) से संबंधित है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए नकली या घटिया उर्वरकों से संबंधित मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4	असम	5	संबंधित के लाइसेंस रद्द किए गए
5	बिहार	शून्य	शून्य
6	छत्तीसगढ	1	उर्वरक कंपनी के खिलाफ जिला कलेक्टर के कोर्ट में कार्रवाई की जा रही है।
7	दादरा और नगर	शून्य	शून्य
8	दमन और दीव	शून्य	शून्य
9	दिल्ली	शून्य	शून्य
10	गोवा	शून्य	शून्य
11	गुजरात	शून्य	शून्य
12	हरियाणा	707	52 पंजीकृत एफआईआर
13	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
14	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य
15	झारखंड	शून्य	शून्य
16	कर्नाटक	14	14 पंजीकृत एफआईआर
17	केरल	नकली उर्वरकों के लिए सूचित मामलों की संख्या: शून्य घटिया उर्वरकों के मामलों की संख्या: 1026	रद्द किए गए लाइसेंस - 5 की गई सुनवाई - 72 चेतावनी - 247 मांगा गया स्पष्टीकरण - 577 कारण बताओ नोटिस - 126
18	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
19	मध्य प्रदेश	17	एफसीओ-1985 तथा ईसीए-1955 के अनुसार की गई कार्रवाई
20	महाराष्ट्र	37	37
21	मणिपुर	शून्य	शून्य
22	मेघालय	शून्य	शून्य
23	मिजोरम	शून्य	शून्य
24	ओडिशा	610	एलओए रद्द: 94, निलंबित एलओए: 228, अन्य कार्रवाई (बिक्री/जब्ती पर रोक): 267, किए गए अभियोजन: 21
25	पुदुचेरी	शून्य	शून्य
26	पंजाब	487	इन कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। इन कंपनियों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 146 मामले लंबित हैं, जिन्होंने किसानों को घटिया उर्वरकों की आपूर्ति की है और पंजाब राज्य के ऐसे मामलों में चूककर्ताओं के खिलाफ 18 एफआईआर दर्ज की गई है।
27	राजस्थान	शून्य	शून्य
28	सिक्किम	शून्य	शून्य
29	तमिलनाडु	01	माननीय जेएम न्यायालय कोर्ट सं.2 कोयम्बटूर में मामला जारी है
30	तेलंगाना	शून्य	शून्य
31	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
32	उत्तराखंड	शून्य	शून्य
33	उत्तर प्रदेश	44	44 एफआईआर दर्ज
35	पश्चिम बंगाल	3127	एफसीओ -1985 के अनुसार की गई कार्रवाई